



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.10.2021

### 1-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 11.10.2021 को पंजीकृत मु0अ0स0 332/2021 धारा 147,148,149,307,323,354,392,452,506 भादवि व 3(1)(द),3(1)(वी) एसी/एसटी एक्ट में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र भागीरथ सिंह नि0ग्राम कानपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर को अभियुक्त को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

### घटना का विवरण-

दिनांक 10.10.2021 को ग्राम कानपुर में भीम आर्मी के लोगो द्वारा मीटिंग की गयी थी। मीटिंग के उपरान्त डी0जे0 बजाने को लेकर अभियुक्त एवं उनके सह अभियुक्त द्वारा इसका विरोध करते हुए वादी के घर में घुसकर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मारपीट कर घटना को अंजाम दिया गया था। जिससे वादी के परिवार के चार लोगो को गम्भीर चोटे आयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 332/2021 धारा 147,148,149,307,323,354,392,452,506 भादवि व 3(1)(द),3(1)(वी) एसी/एसटी एक्ट पंजीकृत है।

### गिफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विकास सिंह पुत्र भागीरथ सिंह निवासी ग्राम कानपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

**अभियोग का विवरण-**1)मु0अ0स0 332/2021 धारा

147,148,149,307,323,354,392,452,506 भादवि व 3(1)(द),3(1)(वी)एसी/एसटी एक्ट

## 2-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध खनन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर ट्राली बालू से भरी हुई बरामद।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 12.10.2021 को अभियुक्त भूरा पुत्र मकसूद नि0-ग्राम सिरसौल थाना जरीफनगर जनपद बदायूं हाल पता किराये का मकान ग्राम बेगमपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को लखनावली पुस्ते के पास हिण्डन नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध खनन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली बालू से भरी हुई बरामद हुई है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

भूरा पुत्र मकसूद नि0- ग्राम सिरसौल थाना जरीफनगर जनपद बदायूं हाल पता किराये का मकान ग्राम बेगमपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु.अ.स. 822/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी विवरण :

अवैध खनन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर ट्राली बालू से भरी हुई



## 3- थाना फेस- 3 पुलिस द्वारा 04 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व तीन चाकू तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आटो की आर.सी व 2190 रूपये नगद बरामद।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 12.10.2021 को 04 शातिर अभियुक्त 1. सचिन शेख पुत्र मो0 फारूख शेख नि0 साई शेरपुर जिला मूर्शिदाबाद बंगाल हाल पता मेघनाथ का

मकान गली नं० 2 ममूरा थाना फेस 3 नोएडा 2. सोनू पुत्र पन्ना लाल नि० पहाड़गंज थाना चोलापुर जिला बनारस हाल झुग्गी आदर्शनगर दिल्ली 3. मोनू पुत्र पन्ना लाल नि० पहाड़गंज थाना चोलापुर जिला बनारस तथा वर्तमान में दिपेश के साथ छिजारसी थाना फेस 3, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 4. दिपेश पुत्र परमानन्द सिंह राजपूत ग्राम परसौनी थाना किनारा जिला मोतीहारी बताया हाल ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 नोएडा, गौतमबुद्धनगर को इलैक्ट्रोनिक मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर, तीन चाकू तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आटो की आर.सी व 2190 रूपये नगद बरामद किये गये है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.सचिन शेख पुत्र मो० फारूख शेख नि० साई शेरपुर जिला मूर्शिदाबाद बंगाल हाल पता मेघनाथ का मकान गली नं० 2 ममूरा थाना फेस 3 नोएडा
- 2.सोनू पुत्र पन्ना लाल नि० पहाड़गंज थाना चोलापुर जिला बनारस हाल झुग्गी आदर्शनगर दिल्ली
- 3.मोनू पुत्र पन्ना लाल नि० पहाड़गंज थाना चोलापुर जिला बनारस तथा वर्तमान में दिपेश के साथ छिजारसी थाना फेस 3, नोएडा, गौतमबुद्धनगर
- 4.दिपेश पुत्र परमानन्द सिंह राजपूत ग्राम परसौनी थाना किनारा जिला मोतीहारी बताया हाल ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 नोएडा, गौतमबुद्धनगर

### **अभियोग का विवरण-**

- 1.मु०अ०सं० 1063/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर
- 2.मु०अ०सं० 1064/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर
- 3.मु०अ०सं० 1065/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर
- 4.मु०अ०सं० 1066/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर
- 5.मु०अ०सं० 1060/21 धारा 392 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

1. एक तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिंदा कारतूस 315 बोर
2. तीन चाकू
3. आधार कार्ड, पैन कार्ड, आटो की आर.सी व 2190 रूपये नगद



**4-एन्टी ऑटो थेफ्ट टीम व थाना इकोटेक तृतीय पुलिस द्वारा लूट, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 02 शातिर किस्म के अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद।**

एन्टी ऑटो थेफ्ट टीम व थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा दिनांक 12.10.2021 को 02 अभियुक्त 1. अमर सिंह पुत्र स्व0 वृन्दावन निवासी नंगला मनी थाना एतमादपुर जिला आगरा 2. राजेश पुत्र अमर सिंह निवासी नंगला मनी थाना एतमादपुर जिला आगरा को डी-पार्क के तिलपता वाली साईड में 130 मीटर रोड के किनारे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी पिस्टल 32 बोर, 03 तमन्चे 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 32 बोर तथा 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है।

### **विवरण:-**

अभियुक्त पिस्टल व रिवाल्वर और अवैध अस्लाहो को नोएडा एनसीआर में आगरा अलीगढ व फिरोजाबाद से लाकर तस्करी करते है । अभि0 अमर सिंह के विरूद्ध लूट डैकेती और अवैध असलहा तस्करी के कई मुकदमें दर्ज है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास

अमर सिंह पुत्र स्व० वृन्दावन निवासी नंगला मनी थाना एतमादपुर जिला आगरा ।

- 1) मु०अ०सं० 163/82 धारा 25 A ACT थाना एतमादपुर आगरा ।
- 2) मु०अ०सं० 69/84 धारा 395,397 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 3) मु०अ०सं० 72/84 धारा 395 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 4) मु०अ०सं० 77/84 धारा 41/120 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 5) मु०अ०सं० 36/10 धारा 25 A ACT थाना एतमादपुर आगरा ।
- 6) मु०अ०सं० 386/7 धारा 25 A ACT थाना एतमादपुर आगरा ।
- 7) मु०अ०सं० 47/98 धारा 3 उ०प्र० गुन्डा एक्ट थाना एतमादपुर आगरा ।
- 8) मु०अ०सं० 43/91 धारा 457,380 IPC थाना एतमादपुर आगरा
- 9) मु०अ०सं० 277/90 धारा 307,504 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 10) मु०अ०सं० 34/79 धारा 25 A ACT/ फैक्ट्री एक्ट थाना एतमादपुर आगरा ।
- 11) मु०अ०सं० 8/84 धारा 395,392 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 12) मु०अ०सं० 67/87 धारा 395,397 IPC थाना एतमादपुर आगरा ।
- 13) मु०अ०सं० 820/85 धारा 399,420 IPC थाना टून्डला फिरोजाबाद ।
- 14) मु०अ०सं० 128/84 धारा 395,397 IPC थाना टून्डला फिरोजाबाद ।
- 15) मु०अ०सं० 198/85 धारा 396 IPC थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
- 16) मु०अ०सं० 695/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक 3 कमिश्नरेट गौ०बु०नगर

राजेश पुत्र अमर सिंह निवासी नंगला मनी थाना एतमादपुर जिला आगरा

- 1) मु०अ०सं० 21/21 धारा 376,506 IPC थाना देहली गेट अलीगढ ।
- 2) मु०अ०सं० 395/16 धारा 323,452,504,506 IPC थाना देहली गेट अलीगढ ।

- 3) मु0अ0सं0 797/10 धारा 147,148,149,323,336,324,307 IPC थाना देहली गेट अलीगढ
- 4) मु0अ0सं0 243/09 धारा 307,323,336 IPC थाना देहली गेट अलीगढ
- 5) मु0अ0सं0 697/2021 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक 3 कमिश्नरेट गौ0बु0नगर
- 6) मु0अ0सं0 696/2021 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक 3 कमिश्नरेट गौ0बु0नगर

### **बरामदगी का विवरण:**

- 1) 01 देशी पिस्टल 32 बोर
- 2) 01 देशी रिवाल्वर 32 बोर
- 3) 3 तमन्चे 315 बोर नाजाजय
- 4) 03 खोखा कारतूस 32 बोर
- 5) 02 खोखा कारतूस 315 बोर



**# कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की तत्परता से बची दो अनमोल जिंदगी**

**थाना बादलपुर पुलिस द्वारा रोडवेज बस में एक महिला को प्रसव पीडा होने के दौरान कराई गयी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ-**

दिनांक 12.10.2021 को थाना बादलपुर क्षेत्र के अन्तर्गत रोडवेज बस रजि0 न0 यूपी 70 एफटी 8702 से श्री अवनीश पुत्र सुरेश चन्द निवासी नंगला खयाली थाना मरेची जनपद एटा अपनी पत्नी को लेकर गाजियाबाद से अपने गांव खयाली जा रहे थे, रास्ते में अवनीश की

पत्नी को प्रसव पीडा हुई। रोडवेज बस चौकी छपरौला के सामने आकर रूकी ,तभी तत्काल चौकी प्रभारी मय कर्मचारीगण के बंसल क्लीनिक से डा0 दिनेश कुमार व सहायक यशिका बंसल को मौके पर बुलाकर लाये। जच्चा बच्चा को प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। प्रसव पीडा के दौरान महिला को पुत्री पैदा हुई। जच्चा-बच्चा को बंसल क्लीनिक में भर्ती कराया गया है। जच्चा- बच्चा दोनो स्वस्थ हैं।

**#महिला शक्ति का प्रतीक नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की 2 बड़ी उपलब्धि, दुष्कर्म के 2 आरोपियों को प्रभावी पैरवी के अंतर्गत मिला कठोर कारावास।**

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा की जा रही है गहन कार्यवाही ।

1. मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो 1 द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त शैलेश को 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. मा0 न्यायालय एडीजे-5 द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त शाजिद को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्वोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप मु0अ0स0 731/2017 धारा 363,376,506 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 12.10.2021 अभियुक्त शैलेश पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम आजादनगर भटपुरा थाना कुमालगंज जिला फर्रूखाबाद हाल निवासी गली न0 04 गांधीनगर थाना कुमालगंज जिला फर्रूखाबाद को माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा 07 वर्ष कारावास एवं 08 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 07 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन अधिकारी शिल्पी भदौरिया के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप मु0अ0स0 995/2012 धारा 376,452 भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 12.10.2021 अभियुक्त शाजिद पुत्र शमीम निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता ई 33 सेक्टर 15 थाना सेक्टर 20 को माननीय न्यायालय एडीजे -5 श्री पुष्पेन्द्र द्वारा 07 वर्ष कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।